यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

र्थना पत्र संख्या :– 05/2024

1. जगदीशचन्द्र पिता रूपलाल धाकड निवासी जालमपुरा तह0 बेगूँ
2. भॅवरलाल पुत्र रूपलाल धाकड निवासी जालमपुरा तह0 बेगूँ
3. प्रेमबाई पुत्री रूपलाल धाकड निवासी जालमपुरा तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

गीताबाई पुत्री मांगीलाल हजूरी निवासी जालमपुरा तह0 बेगूँ

विपक्षीया

उपस्थित ::– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री सत्यनारायण माली
अधिवक्ता विपक्षीया

आदेश दिनांक :– 23.12.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा जालपुरा पटवार हल्का मंडावरी में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 48, 49, 50 पर आने जाने एवं कृषि औजार लाने ले जाने का रास्ता आराजी संख्या 46 किस्म रास्ता से आराजी संख्या 47 की दक्षिणी सीमा पर होते हुए आराजी संख्या 49 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक की आवश्यकता है। प्रार्थीगण अर्सा कदीम से आराजी संख्या 47 के मध्य में पूर्व से पश्चिम तक विपक्षी द्वारा छोडी हुई 7–8 फिट चौडी रास्ता तरह की भूमि से होकर आ जा रहे है एवं कृषि उपयोग कर रहे है किन्तु उसमें विपक्षी की आराजी के दो भाग हो, उसे भी असुविधा होती है एवं मार्ग सकडा है, जिससे दोनो पक्ष में आये दिन मन मुटाव रहता है जिसके स्थाई समाधान व पूर्ण सुविधा हे तु यह रास्ता 12 फिट चौडा (संलग्न नजरी नक्शा में अ से ब दर्शाया हुआ की प्रार्थीगण को आवश्यकता है।

कि आराजी संख्या 47 के खातेदार द्वारा वर्तमान रास्ता हमेशा बन्द करने की धमकिया दी जाती रही है एवं 7, 8 फिट चौडा रास्ता में फसल बोने के बाद साधन आना जाना भी संभव नहीं होता है जिससे प्रार्थीगण रास्ता के स्थाई समाधान हेतु उक्त मार्ग को 12 फिट तक विस्तारित कर विपक्षीगण को मुआवजा अदा कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता कायम कराना चाहते है।

यह कि संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया रास्ता अ से ब विपक्षीगण की आराजी संख्या 47 की दक्षिणी सीमा में से विस्तारित कर मौके पर रास्ता कायम करा राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किये जाने हेतु प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है एवं प्रार्थीगण के पास इससे भिन्न कोई मार्ग भी उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीया को जरिये सम्मन तलब किया गया। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ लिये जाने हेतु पत्र लिखा गया। पत्रावली में विपक्षीया की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण माली द्वारा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 से 3 तक को अस्वीकार करते हुए स्पष्टीकरण विशेष कथन में अंकित किये है। विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थीगण के पिता रूपलाल धाकड ने उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व खातेदार शम्भूलाल पुत्र देवा जी तेली निवासी जालमपुरा से करीब 5 वर्ष पूर्व में खरीदी थी और उस समय उक्त आराजी का रास्ता शम्भुलाल जी तेली की स्वयं की आराजी से आना जाना था और उसी रास्ते उक्त आराजी पर फसल की बुवाई के लिए साधन का आवागमन किया जाता था।

प्रार्थी ने जिस समय उक्त आराजी खरीदी तब उक्त आराजी पर पूर्व के अनुसार वर्णित रास्ते का जो शम्भुलाल जी उपयोग उपभोग उस आराजी पर आने जाने के लिए करते थे उसी रास्ते का प्रार्थी रूपलाल धाकड व उसके वारिसान उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी जबरन ताकत के बल पर मेरी आराजी पर नया रास्ता खोलने को आमादा हो रहा है, जबकि उक्त आराजी का रास्ता हमारी आराजी से होकर आता जाता नहीं है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

इस पत्रावली में विपक्षीया का जवाब प्रस्तुत होने तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 543 दिनांक 20.06.2024 से रास्ता कायम किये जाने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट मय भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बेगूँ की रिपोर्ट व पर्चामौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शाट्रेस संलग्न कर पेश किये हैं, साथ ही भूमि की डी.एल.सी. दर से विपक्षी को दिये जाने हेतु जो राशि का अंकन किया है, उसका भी हमारे द्वारा अवलोकन किया गया।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए विपक्षीया की आराजी से नया रास्ता कायम किये जाने हेतु निवेदन किया है जबकि

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

...ा विपक्षी ने अपनी बहस में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।
... पत्र 251 ए आर.टी.एक्ट के निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण रिकोर्ड है वह तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित रास्ते ...सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट होती है जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। रिपोर्ट में ...हसीलदार बेगूं द्वारा अंकित किया कि आराजी संख्या 48, 49 व 50 योग किता 3 कुल रकबा 0.664 हैक्टर ...किस्म बीड श्रीमती गीताबाई पुत्री मांगीलाल हजूरी सा.देह खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। यह कि प्रार्थी उक्त खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अति आवश्यक है तथा इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

यह कि अन्य खातेदार की आराजी संख्या 47 मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने हेतु वैकल्पिक मार्ग की न्यूनतम दूरी पर है। प्रार्थी द्वारा उनके खेत पर जाने के संबंध में न्यूनतम मार्ग का रास्ता है। यह कि रास्ता के खसरा 47 मे से 0.0112 हैक्टर रास्ता कायम करना प्रस्तावित है रास्ता की लम्बाई 28 मीटर व चौडाई 4 मीटर है। नक्शाट्रेस में लाल स्याही का अंकन कर प्रस्तावित है। यह कि रास्ते बनाने अधीन अवधारित के मूल्य के अतिरिक्त मौके पर यूकेलिपटिस का हरा पेडा खडा है जिसकी लम्बाई 15 फीट है।

उपरोक्त रिपोर्ट के संलग्न भू-अभिलेख निरीक्षक वृत बेगूं की रिपोर्ट एवं पर्चामौका रिपोर्ट व नक्शाट्रेस संलग्न होकर हमारे द्वारा अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रार्थीगण की पहुँच के लिए जो विपक्षीया की आराजी संख्या 47 से कुल लम्बाई 28 मीटर व चौडाई 4 मीटर का रास्ता जो लिया जावेगा उसकी डी.एल.दर से जो रिपोर्ट तहसील राजस्व लेखाकार से प्राप्त हुई वह निम्न प्रकार से है :-

रास्ते हेतु ग्राम जालमपुरा पटवार हल्का मण्डावरी भू.अ.नि. वृत बेगूं की आराजी संख्या 47 मे से 112 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित है।

भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 899420/-
डीएलसी का दुगुना - 899420गुणा 2 यानि 1798840/-
कुल मुआवजा राशि 1798840/10000गुणा 112 यानि 20148/-

जमाबंदी अनुसार प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा राशि निम्नानुसार बनती है :-

क्र.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा सम्पूर्ण	राशि
1	47	गीताबाई पुत्री मांगीलाल जाति हजुरी	सम्पूर्ण	20148/-

उपरोक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीया की कृषि आराजी संख्या 47 में यदि रास्ता कायम किया जाना है तो उन्हें आराजी संख्या 47 मे रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि 28मीटर लम्बी व 4 मीटर चौडी कुल 112वर्गमीटर भूमि को सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में लिये जाने हेतु कुल राशि 20148/- तहसील कार्यालय में जमा करवानी होगी, जैसा कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में राशि जमा कराने की सहमति दी गई है तथा प्राप्त रास्ता रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की कृषि आराजी संख्या 48, 49 व 50 योग किता 3 कुल रकबा 0.664 हैक्टर भूमि में आने जाने व कृषि संसाधन लाने ले जाने हेतु विपक्षीया की आराजी संख्या 47 में से ही एक मात्र निकटतम रास्ता मौजूद है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की कृषि आराजी मौजा जालमपुरा प0ह0 मण्डावरी की कृषि आराजी संख्या 48, 49 व 50 कुल कीता-3 कुल रकबा 0.664 हैक्टर भूमि में आने जाने व कृषि संसाधन लाने ले जाने हेतु विपक्षीया की कृषि आराजी मौजा जालमपुरा प0ह0 मण्डावरी की आराजी संख्या 47 मे से 28मीटर लम्बी व 4 मीटर चौडी भूमि यानि कुल 112 वर्गमीटर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु उपयोग उपभोग में लिये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा रास्ता भूमि का मुआवजा राशि जो कि विपक्षीया को दी जानी है की कुल राशि 20148/- तहसीलदार, बेगूं के कार्यालय में जमा कराने पर विपक्षीया गीताबाई पुत्री मांगीलाल हजूरी के खाते की आराजी संख्या 47 मे से 28मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु राजस्व रिकोर्ड में कायम किये जाने व नक्शाट्रेस में कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूं को आदेश की पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी बेगूं
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

दिनांक ::-

क्रमांक/सरिश्ता/2024/

प्रार्थना पत्र संख्या 05/24 व अनवान जगदीश चन्द्र बनाम श्रीमति गीताबाई को. प्रा.पत्र अ.धा. 251ए आर.टी.एक्ट में किये गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी बेगूं
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)